



म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग)

"चयन भवन" मेन रोड़ न. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन न.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

website: www.esb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complaint.esb@mp.gov.in

आबकारी आरक्षक के सीधी एवं बैकलॉग पदो हेतु भर्ती परीक्षा-2024

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र				
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		: 15.02.2025	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	: 01.03.2025
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि		: 15.02.2025	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 06.03.2025
परीक्षा दिनांक व दिन		05.07.2025 से प्रारम्भ		
परीक्षा शुल्क				
सीधी भर्ती पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये			रु. 500/-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्लू.एस./ नि:शक्ताजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)			रु. 250/-
सीधी भर्ती - बैकलॉग				कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा ।				

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
05.07.2025 से प्रारम्भ (शनिवार)	प्रथम	प्रातः 7:00 से 8:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक	02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:30 से 04:30 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित(Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर /आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, Sun glasses एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण ई.एस.बी. द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है । अतः :कम्प्युटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) (पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी |
11. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।



म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग)

"चयन भवन" मेन रोड़ न. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन न.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

website: www.esb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complaint.esb@mp.gov.in

आबकारी आरक्षक पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती परीक्षा-2024

आयोजन के नियम एवं निर्देश

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	आबकारी आरक्षक के सीधी एवं बैकलॉग पदों हेतु भर्ती परीक्षा-2024	04-11
2.	2	कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल, म.प्र. की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	12-28
3.	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	29
6	प्रारूप-1	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	30

अध्याय-1

आबकारी विभाग, मध्यप्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के सीधी एवं बैकलॉग पदों हेतु भर्ती

परीक्षा-2024

विभागीय नियम

चयन संबंधी अनुदेश-

मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ सेवा तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) भरती नियम 1982 के नियम 11 में उल्लेखित एवं अनुसूची-2 में दी गई योजना तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-55/2021/आ.प्र./एक दिनांक 31.01.2022 के अनुसार संधारित किये गये रोस्टर अनुसार सीधी भरती के माध्यम से आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना प्रावधानित है।

1.1 सामान्य:

मध्यप्रदेश आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष/महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात् कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

1.2 परिभाषाएँ:

- (क) "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।
- (ख) "अनुसूचित जाति से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (ग) "अनुसूचित जन जाति से अभिप्रेत हैं कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (घ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-पच्चीस-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (च) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" से अभिप्रेत है कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-07-53/2019/आ.प्र./एक दिनांक 04 जनवरी 2020 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (छ) "विभाग" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश आबकारी विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।
- (ज) "समिति" से अभिप्रेत है आबकारी विभाग द्वारा गठित की गई चयन समिति।
- (झ) "प्रतियोगिता परीक्षा" से अभिप्रेत हैं कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षा।
- (ट) "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा परिभाषित है।
- (ठ) मण्डल से तात्पर्य, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल से है।
- (ड) मध्यप्रदेश से तात्पर्य, मध्यप्रदेश राज्य है।

आरक्षण तालिका

आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती (कार्यपालिक)

पोस्ट कोड-01 - सीधी भर्ती - आबकारी आरक्षक - कुल 248 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	41	24	05	02	--	--	72	दिव्यांगजनों की कुल 37 रिक्तियों में से VH 06 EH 10 LD 09 एवं MD 12 दिव्यांगजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का दिव्यांगजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	14	09	02	01	--	--	26	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	19	12	03	01	--	--	35	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	23	13	03	01	--	--	40	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	42	25	05	03	--	--	75	
	योग	139	83	18	08	--	--	248	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	41	24	05	02	--	--	72	दिव्यांगजनों की कुल 37 रिक्तियों में से VH 06 EH 10 LD 09 एवं MD 12 दिव्यांगजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का दिव्यांगजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	14	09	02	01	--	--	26	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	19	12	03	01	--	--	35	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	23	13	03	01	--	--	40	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	21	13	03	02	--	--	39	
	योग	118	71	16	07	--	--	212	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	21	12	02	01	36	निरंक
2.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	21	12	02	01	36	

आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग (कार्यपालिक)

पोस्ट कोड-02 - सीधी भर्ती बैकलॉग - आबकारी आरक्षक - कुल 05 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	--	--	--	--	--	--	--	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	--	--	--	--	--	--	--	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	--	--	--	--	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	--	--	--	--	04	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	--	--	--	--	--	--	--	
	योग	04	01	--	--	--	--	05	

- (2) शासन नियमानुसार महिलाओं के लिये दिये गये 33 प्रतिशत हॉरीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज आरक्षण निर्धारित किया गया है ।

- (3) म.प्र. शासन सा.प्र. विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के आसाधारण राजपत्र आदेश दिनांक 21 अप्रैल 1999 के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। ये दोनों ही आरक्षण महिलाओं, एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण हैं। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जायेंगे यदि चयन सूची में पहले से ही 33 प्रतिशत महिलायें तथा 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से हॉरीजोन्टल आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।
- (4) यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि आर्थिक-सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात् अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण "हॉरीजोन्टल-ओवरऑल" स्वरूप का है। आरक्षण के आधार पर चयन का आधार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर आधारित है
- (5) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- (6) आरक्षक भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा।

1.4 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में:

- 1.4.1 पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये।
- 1.4.2 किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।
- 1.4.3 ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पद हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा आगामी जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए। अर्थात् किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म0प्र0 राज्य का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- 1.4.4 नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन: करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए।
- 1.4.5 अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

1.5 पद का वेतनमान:

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान
1	आबकारी आरक्षक	19500-62000

नोट :- (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं

तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड देय) दिये गये समस्त संवर्गों के वेतनमान के अलावा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होगी। म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम-4/ दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ-9 /डी / 2003 नियम-4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

1.6 निर्धारित आयु सीमा:

अभ्यर्थी की आयु 01.01.2024 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. 3-8/2016/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2017 के संशोधित आदेश क्रमांक सी. 3-14/2019/एक/ 3 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019 अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है:

क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पद के लिए	
		न्यूनतम वर्ष में	अधिकतम वर्ष में
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	18	33
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष / महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) शासकीय/निगम/मण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक	18	38 (अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट)

सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र. सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार-

1. प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी
2. उक्त आदेश की कण्डिका 3 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

1.7 उच्चतर आयु सीमा में सामान्य छूट-

निम्न मापदण्डों के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है:

- 1.7.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात् इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की आयु आगामी जनवरी को 18 वर्ष से कम एवं 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- 1.7.2 मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु-सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कायभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

- 1.7.3 यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं है।
- 1.7.4 नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी पूरी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होना चाहिए। अनुशासनहीनता दुराचरण अथवा अस्वस्थता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।
- 1.7.5 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात् 36 वर्ष से अधिक न हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्हीं भी संघटक ईकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हें आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।
- 1.7.6 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है। दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूत पूर्व सैनिकों के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।
- नोट :- 1. भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में वे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्हें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली के नवीनतम पत्र द्वारा परिभाषित किया गया है।
2. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई। वे भूतपूर्व सैनिक उनके लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण के लाभ के लिये पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने किसी भी शासकीय नियोजन के लिये पूर्व में इसका लाभ प्राप्त कर लिया है। सी.आर.पी.एफ. बी.एस.एफ. आई.टी.बी.पी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है।
3. शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमति को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अंतिम वेतन पर्ची प्रस्तुत

करनी होंगी। केवल वहीं शासकीय अभ्यर्थी आयु में छूट का लाभ ले पायेंगे, जो कि उस पद के लिये आवेदन कर रहे हैं, जिसका वेतनमान उनके पूर्व पद में के मुकाबले अधिक है।

1.7.7 मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

1.8 मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटे :

1.8.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरुस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी। इस संबंध में विवाह पंजीयन कर्ता शासकीय अधिकारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक के पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। 1.8.2 "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

1.8.3 बिन्दु 1.8.1 1.8.2 तक प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी। बिन्दु 1.8.1 से 1.8.2 तक प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें, बिन्दु 1.7.1 से 1.7.7 तक मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी।

1.9 बच्चे सम्बन्धी: कोई उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

1.10 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा।

1.11 न्यूनतम शारीरिक अर्हता: अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए:

क्र.	पद	वर्ग	ऊँचाई	सीना	
1	आबकारी आरक्षक	पुरुष	167.5 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
		महिला	152.4 से.मी.	लागू नहीं	

(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सैमी का अन्तर होना आवश्यक हैं। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।)

नोट:- महिला उम्मीदवारों के लिये सीने की कोई माप का प्रावधान नहीं है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी को ऊँचाई मापदण्ड में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं चयन उपरांत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं होने पर चयन निरस्त किया जावेगा

1.11.1 उम्मीदवारों का शरीर किसी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिए।

1.11.2 अभ्यर्थी में नाक-नी अथवा फ्लेट फुट एवं आँखों से संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए तथा अच्छी वायनाकुलर दृष्टि का अवश्य हो एवं आंख को टोपों (eylids) एवं आंख में पुतली की बीमारी से ग्रस्त न हो। मुख्य रंगोंका भेद करने में उम्मीदवारों को सक्षम होना चाहिए एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

- नोट- (1) यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें।
- (2) कर्मचारी चयन मण्डल से प्राप्त चयन सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदण्ड आबकारी आयुक्त द्वारा गठित समिति के द्वारा की जावेगी।
- (3) चयन प्रक्रिया के उपरान्त चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जावेगा। जो उम्मीदवार आबकारी आरक्षक के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जायेंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
- (4) न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। शारीरिक अर्हताओं में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जावेगी।
- (5) प्रक्रिया के अन्त में निराशा से बचने के लिये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं के बारे में सिविल सर्जन से नाप जोख की पुष्टि कर लें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें।

1.12 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं:

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हताएँ
1	आबकारी आरक्षक	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 12 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

1.12.1 शैक्षणिक योग्यता में छूट - शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/ चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हो जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हो।

1.12.2 निर्धारित समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये, उदाहरण के लिये यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठा है और उसके पास हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रमाण पत्र जो ऑन लाईन आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक के पश्चात जारी किये गये हैं उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा एवं अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

1.13 परीक्षा की योजना

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किए जाने होंगे। जिसके अनुसार ऑनलाईन परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

1.13.1 मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों का हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से होगा। सभी प्रश्नों का स्तर हाईस्कूल स्तर का होगा। जिसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:-

1. सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान	40 अंक
2. बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि	30 अंक
3. विज्ञान एवं सरल अंक गणित	30 अंक

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मण्डल द्वारा प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक-पृथक मेरिट सूची प्रतिक्षा सूची सहित बनाई जाकर आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराई जायेगी।

1.13.1 अर्हकारी अंक:- आबकारी आरक्षक के अर्हकारी अंको के संबंध में- " बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंको में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हो। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित के लिए 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंको की छूट देते हुए 50 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंको में प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, किन्तु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के लिए बनाई सूची में से 'मेरिट' के आधार पर किया जावेगा।"

1.14 पारस्परिक वरीयता:- योग्यता क्रम अनुसार तथा पारस्परिक मेरिट उत्तीर्ण आवेदकों की मेरिट उन्हें परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी, परन्तु यदि दो व्यक्तियों को एक समान अंक मिले, तो उस आवेदक को वरिष्ठ माना जावेगा, जो आयु में वरिष्ठ हो।

1.15 शारीरिक मापदण्ड परीक्षण:- नियुक्ति आदेश जारी किये जाने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड परीक्षण आबकारी आयुक्त द्वारा गठित विभागीय समिति द्वारा शारीरिक मापदण्ड परीक्षण किया जावेगा। शारीरिक मापदण्ड परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर आबकारी आरक्षक के पद हेतु नियुक्ति आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किया जावेगा।

1.16 चयनोपरांत प्रशिक्षण हेतु आदेश जारी करने के पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा तथा नियुक्ति के समय नियमानुसार अनुबंध-पत्र का निष्पादन किया जायेगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधी पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र सत्यापन कराया जायेगा।

(अभिजीत अग्रवाल)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

अध्याय-2

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 2.1** (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढ़ाये जा सकेंगे।
- (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iv) समूह परीक्षा में विज्ञापित किए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प/प्राथमिकताक्रम अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा। सभी पदों पर प्राथमिकताओं को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों के परिणाम में विचार नहीं किया जायेगा, जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकताक्रम में विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया है।
- (v) ऐसी पद तालिका, जिनमें Category/X/Open में पद विज्ञापित नहीं है। परन्तु प्रवर्ग यथा भूतपूर्व सैनिक, संविदाकर्मी में पद विज्ञापित है, ऐसे विज्ञापित पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में कन्वर्जन का नियम लागू करना संभव नहीं हो सकेगा।
- 2.2** (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये आवेदन-पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्न-पत्रों के विकल्प को चुनता है, तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गये प्रश्न-पत्रों के लिये संबंधित योग्यता का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किये गये प्रमाण-पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिये जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थियों परीक्षा में निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकारी सुरक्षित रहेगा।

- (v) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (vii) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (viii) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलपवाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales, Sun glasses and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2.5 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी./ प-1/712/2020 भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी।

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विड डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। किन्तु दृष्टिबाधित द्वियांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं पुतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी। सहायक

अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनो (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित ई.एस.बी. कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि ई.एस.बी. स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/ प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र ई.एस.बी. की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित समयावधि के उपरांत आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जायेगा साथ ही इस आशय हेतु प्रेषित किये जाने वाले पत्र का उत्तर न प्रेषित करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किये जायेंगे।

2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) ई.एस.बी. की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति :-

- (i) वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।
- (ii) परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कम्प्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) एवं प्रदर्शित RAW Score समान होने पर ही "सबमिट" किया जा सकेगा।

2.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (A) निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-
 - (i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
 - (ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
 - (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
 - (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
 - (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
 - (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
 - (vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में ई.एस.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।
- (B) हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा। सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र, जहाँ पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा)।

- (C) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हा या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी।

(आदेश क्र. ई.एस.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति :-

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ई.एस.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार ई.एस.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं, तो उन परीक्षाओं में एकजाई मेरिट तैयान करने हेतु परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा। जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{\bar{M}_M - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

$\bar{M}_i^g$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

$\bar{M}_M$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नामोल्लाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए ई.एस.बी. की वेबसाईट देखें)

नोट :- म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. मण्डल/5-प-1/48/5279/2016, भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार बिंदु 2.8 में उल्लेखित परीक्षा परिणाम के अंको की सभी गणना दशमलव के दो अंको तक की जायेगी तथा किसी भी स्थिति में अंको को राउंडऑफ कर नहीं जोड़ा जायेगा।

2.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु ई.एस.बी. वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा। अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि 50/- (पचास) मात्र शुल्क देय होगा। मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 2.8 अ अनुसार ई.एस.बी. द्वारा नियुक्त विशेष विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरांत एवं उक्त प्रश्नों के अतिरिक्त परीक्षा में आए शेष प्रश्नों के यादिच्छक (रैंडम) रूप से 05 प्रतिशत प्रश्नों का निर्धारण कर विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी अनुशंसा अनुसार अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया अंतिम होगा।

2.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)@ यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफंसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मण्डल द्वारा किये गए डेटा विश्लेषण में असामान्यता परिलक्षित होती है, तो संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।
12. परीक्षा उपरांत, परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को यू.एफ.एम. श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधिके अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यू.एफ.एम. प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर ई.एस.बी. को अवगत कराया जायेगा।

ई.एस.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

2.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व ई.एस.बी. की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर ई.एस.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरान्त परीक्षा परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट ई.एस.बी. की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएंगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएं भी ई.एस.बी. की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।

2.12 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम ई.एस.बी. की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.13 म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अन्तिम अधिकार ई.एस.बी. का होगा।

- (ii) ई.एस.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं ई.एस.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में ई.एस.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख ई.एस.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

2.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा ।
- (v) ई.डब्लू.एस. श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा ।
- (vi) संविदा कर्मचारी हेतु स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र, प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र (यथा एन.सी.सी. प्रमाण पत्र व अन्य) इत्यादि को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा ।

2.16 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

- (vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

2.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारीयों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयों भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर ई.एस.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.18 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिह्न तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक /आधार V ID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
 1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू में ई.एस.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

2.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

ESB लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/**Instructions** तथा परीक्षा नियम/**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर jpg फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाइन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंकों के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.22 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर ई.एस.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये ई.एस.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

2.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण ई.एस.बी.स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में ई.एस.बी. द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.27 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.28 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

2.29 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

- 2.30** अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत ई.एस.बी. की E-mail ID “complaint.esb@mp.gov.in” पर भेज सकते हैं।

2.31 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाइन आवेदन पत्र			ऑनलाइन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
15.02.2025	01.03.2025	15	15.02.2025	06.03.2025	20

2.32 आनलाइन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	परीक्षा का नाम	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा -2024	प्रथम द्वितीय	05.07.2025 1 si 3 Bk	02 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:00 तक दोपहर 02:30 से 04:30 तक	100 100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

3.33 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

2.34 परीक्षा शहर :-

आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहर की प्राथिमकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथिमकता में अंकित किये गए शहरों में सीटो की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केंद्र की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त सम्बन्ध में पी ई बी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होगा। लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

आनलाइन परीक्षा केन्द्र				
बालाघाट	भोपाल	ग्वालियर	इन्दौर	जबलपुर
खण्डवा	नीमच	रतलाम	रीवा	सागर
सतना	सीधी	उज्जैन		

अध्याय - 03
पाठ्यक्रम
(परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा)

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों का हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से होगा। सभी प्रश्नों का स्तर हाईस्कूल स्तर का होगा। जिसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:-

- | | | |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1. | सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान | 40 अंक |
| 2. | बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि | 30 अंक |
| 3. | विज्ञान एवं सरल अंक गणित | 30 अंक |

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
(जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :
15. पत्र व्यवहार का पता :
16. ई-मेल :
17. फोन न. :

संलग्न :-

1. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

.....
.....

प्रति,

.....
.....

सहमति प्रमाण-पत्र

- (1) म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल द्वारा **आबकारी आरक्षक के सीधी एवं बैकलॉग पदों हेतु भर्ती परीक्षा-2024** के आयोजन के लिए नियम पुस्तिका तैयार की गई है। नियम पुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियमों एवं अध्यायों में उल्लेखित जानकारियों से तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्य करते हुए विभाग के द्वारा सहमति प्रदान की जाती है।
- (2) विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 147/904/2014/आ.प्र./एक/ भोपाल, दिनांक 13/02/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक हेतु नियमानुसार आरक्षण प्रदाय किया गया है।
- (3) मण्डल के आदेश क्रमांक/127/व्यापम/प-1/482/2009 भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के अनुसार सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित की गई शुल्क को विभाग द्वारा दिये जाने के संबंध में सहमति प्रदान की जाती है।
- (4) रोस्टर में अनुसूचित जाति/ जनजाति/अ.पिछड़ा वर्ग/संविदा कर्मचारियों/ ई. डब्लू. एस./ दिव्यांग / महिला एवं सैनिकों के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान रखा गया है।
- (5) विभाग के पदों की आरक्षण तालिका में सहमति के उपरान्त आरक्षण तालिका में अनुसूचित जनजाति के पदों को छोड़कर किसी भी प्रकार संशोधन नहीं किया जावेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश अनुसार बैगा, सहारिया एवं भारिया जाति के अभ्यर्थियों की भर्ती उपरान्त अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में ही संशोधन स्वीकार किये जावेंगे।
- (6) विषम परिस्थिति में परीक्षा आयोजन उपरांत विभाग के किसी पद विलोपित अथवा परीक्षा निरस्त करवाने पर संबंधित विभाग को परीक्षा के संपूर्ण व्यय (यथा प्रति अभ्यर्थी मण्डल द्वारा किया गया परीक्षा का व्यय, अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क, विज्ञापन में हुआ व्यय इत्यादि) का वहन करना होगा।

नियम पुस्तिका में दी गई किसी भी जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए विभाग स्वयं जवाबदेह होगा। तैयार नियम पुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

॥॥॥ ky] fn u kl %

I R, ki u d r kZv f/kl kj h d sgLr kj kj

u ke %-----

i n u ke %-----

I hy %-----

e ks kb 7 u - %-----

bZe 9 %-----

